न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 35/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

बनाम

1. नहना पत्नि कालूराम पुत्र किशना जाति मीना निवासी लवाण तहसील लवाण जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: श्री रामलाल गोठवाल अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

:–निर्णयः– दिनांकः 2.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील लवाण ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल गोठवाल उपस्थित आये। राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि एकीकरण अभिलेख संवत 2018 में ग्राम लवाण तहसील लवाण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1110 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा गैर मुमकिन नदी सिवायचक दर्ज रिकार्ड थी। भू–प्रबन्ध अभिलेख संवत 2041–60 में उक्त खसरा नम्बर 1110 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा गैर मुमकिन नदी में से खसरा नम्बर 4803 रकबा 0.81 है. बना, जिसमे से आवंटन कमेटी की सिफारिश पर आवंटन आदेश दिनांक 17.6.2002 के द्वारा खसरा नम्बर 4803/1 रकबा 0.50 है0 भूमि नहना पत्नि कालू पुत्र किशना जाति मीना निवासी लवाण तहसील लवाण को आवंटित की जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 472 दिनांक 17.06.2002 के द्वारा खसरा नम्बर 4803/1 रकबा 0.50 है. भूमि नहना पत्नि कालूराम पुत्र किशना जाति मीना निवासी लवाण तहसील लवाण के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हुई है। जमाबन्दी संवत 2075 –2078 में उक्त आवंटित भूमि अप्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:32:44 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 4803/1 रकबा 0.50 है. विधिवत रूप से आवंटन कमेटी ने भूमि की किस्म बारानी होने के कारण आवंटित की गई थी। आवंटन होने से आज तक अप्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। मौके पर न तो पहले कोई नदी नाला था और ना ही वर्तमान में है। यह भूमि भराव क्षेत्र की जमीन कभी नहीं रही है और न कभी यहां पानी भरा। अप्रार्थी ने लाखों रूपये खर्च करके इसे काबिल काश्त बनाया है। अप्रार्थी को विधिवत रूप से आवंटन कमेटी द्वारा भूमि आवंटन की गई है तथा राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी आज रोज भी दर्ज है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम लवाण तहसील लवाण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1110 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा सम्वत 2018 में गैर मुमकिन नदी सिवायचक दर्ज रिकार्ड थी। भूमि बंदोबस्त संवत 2041–60 में ग्राम लवाण तहसील लवाण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1110 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा गैर मुमकिन नदी में से खसरा नम्बर 4803 रकबा 0.81 है. बना। उक्त भूमि खसरा नम्बर 4803 रकबा 0.81 है. में से खसरा नम्बर 4803/1 रकबा 0.50 है0 भूमि आवंटन आदेश दिनांक 17.6.2002 द्वारा अप्रार्थी को आवंटन की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 472 दिनांक 17.6.2002 के द्वारा नहना पत्नि कालूराम पुत्र किशना जाति मीना निवासी लवाण तहसील लवाण के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई है। अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में सम्वत 2018 में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:32:44 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा